संख्याः /XXXI(15)G/17- 85(सू0अ0)/2012

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 12 ~~मई~~ जून 2017

विषयः-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अधीन नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग में दर्ज अपील संख्या-A(D)-16091, 16092, 16095/2014 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2016 द्वारा संज्ञानित कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर नये सिरे से उच्च स्तर के अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित करना सुनिश्चत करें।

2. शासनादेश संख्या-1629/xxxi(13)G-2012-54(सू0अ0)/2012 दिनांक 11 जून, 2012 के द्वारा प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने नियंत्रणाधीन विभागों/इकाईयों में शासनस्तर पर न्यूनतम अनु सचिव स्तर के अधिकारियों को ही लोक सूचना अधिकारी नामित करेंगे।

3. प्रायः यह देखने में आया है कि शासन स्तर पर उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए कतिपय विभागों द्वारा अनु सचिव स्तर से कम स्तर के अधिकारी को भी लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार विभागों में विशेषतः राजस्व विभाग में लेखपाल व विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, जो कि उचित नहीं है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए शासनस्तर पर अनु सचिव या उप सचिव लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाय एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के पद पर संयुक्त सचिव या अपर सचिव नामित किये जाय। इसी प्रकार विभागीय स्तर एवं जनपद स्तर पर राजपत्रित अधिकारी लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाय एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के पद पर उससे एक पंक्ति ऊपर का अधिकारी तत्काल नामित करते हुए सूचना की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सचिव

27/6/17

Scanned by CamScanner